

समाहरणालय, गोड्डा
(जिला भू-अर्जन शाखा)

-: आम सूचना :-

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015 के नियम-19(3) अंतर्गत अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा के 1600MW ताप विद्युत परियोजना हेतु अंचल गोड्डा ग्राम- मोतिया, पटवा, गंगटा, नयावाद एवं अंचल पोड़ैयाहाट ग्राम- सोनडीहा, रेंगानियों, बलियाकित्ता, पेटवी, गायघाट, माली में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के उपरांत अधिग्रहण हेतु संशोधित रकवा- 1199.99 एकड़ के लिए प्रभावित भू-स्वामियों की पूर्व सहमति प्रपत्र-V के भाग-क, में लेने हेतु निम्नांकित दिनांक/स्थान पर ग्राम सभा/बैठक कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

क्र0	अंचल	पंचायत	ग्राम	ग्राम सभा का स्थान	दिनांक	समय
1	गोड्डा	मोतिया	मोतिया	मोतिया हाई स्कूल	07.03.2017	11:00 बजे पूर्वाह्न से
2			गंगटा	प्राथमिक विद्यालय, गंगटा	07.03.2017	02:00 बजे अपराह्न से
3			नयावाद	प्राथमिक विद्यालय, नयावाद	08.03.2017	11:00 बजे पूर्वाह्न से
4			पटवा	प्राथमिक विद्यालय, पटवा	08.03.2017	02:00 बजे अपराह्न से
5	पोड़ैयाहाट	सोनडीहा	सोनडीहा	उत्क्रमिक उच्च विद्यालय, सोनडीहा	07.03.2017	11:00 बजे पूर्वाह्न से
6		बकसरा	गायघाट	दुटी तेतर बरगद पेड़ के नीचे	07.03.2017	11:00 बजे पूर्वाह्न से
7			रेंगानियों	सामुदायिक भवन रेंगानियों	07.03.2017	02:00 बजे अपराह्न से
8			माली	पीपल पेड़ के नीचे	08.03.2017	11:00 बजे पूर्वाह्न से
9			पेटवी	उच्च प्राथमिक विद्यालय, पेटवी/संथाली टोला	08.03.2017	02:00 बजे अपराह्न से

भू-स्वामियों, भू-अधिवासियों एवं व्यक्तियों की सूची प्रभावित क्षेत्र के सहज दृश्य स्थानों पर प्रकाशित किया गया है।

झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली- 2015 के नियम- 19-7(1) अंतर्गत, जो भू-स्वामी बैठक में हाजिर नहीं हो सकेंगे, बैठक की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर समाहर्ता भू-अर्जन अंचल अधिकारी, गोड्डा/पोड़ैयाहाट को अपनी हस्ताक्षरित घोषणा जमा कर सकते हैं।

उक्त परियोजना के भू-स्वामियों, भू-अधिवासियों एवं व्यक्तियों से अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना दावा/सहमति देने का कष्ट करेंगे।

अपर समाहर्ता-सह-समाहर्ता
गोड्डा (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर)